

मै0 जय मॉ भगवती द्वारा भाटनीकोट माइन्स एण्ड मिनरल्स ग्राम— भाटनीकोट तहसील व जनपद— बागेश्वर, उत्तराखण्ड के पर्यावरण स्वीकृति हेतु दिनांक 07.10.2023 को आयोजित लोक सुनवाई का कार्यवृत्त।

मै0 जय मॉ भगवती द्वारा भाटनीकोट माइन्स एण्ड मिनरल्स ग्राम— भाटनीकोट तहसील व जनपद— बागेश्वर, उत्तराखण्ड, सोप स्टोन माईनिंग प्रोडक्ट (7.592 हेक्टेयर क्षेत्रफल) में खनन हेतु प्रस्तावित पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये लोक सुनवाई का प्रस्ताव उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड मुख्यालय देहरादून के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। उक्त प्रस्ताव वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार की पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना—2006 यथासंशोधित के अन्तर्गत आच्छादित है। उक्त पर्यावरणीय स्वीकृति के प्रस्ताव के क्रम में राज्य बोर्ड द्वारा जन सुनवाई की सूचना दैनिक समाचार पत्र दैनिक जागरण तथा टाइम्स ऑफ इंडिया के दिन 19.09.2023 के अंक में प्रकाशित करायी गयी थी। उपरोक्त के अनुक्रम में क्षेत्रीय कार्यालय हल्द्वानी द्वारा लोक सुनवाई से संबंधित परियोजना प्रस्ताव द्वारा उपलब्ध कराये गये परियोजना से संबंधित ई0आई0ए रिपोर्ट व सारांश की प्रतिया जनसामान्य/इच्छुक संस्था के अवलोकनार्थ, जिलाधिकारी कार्यालय बागेश्वर, जिला पंचायत कार्यालय बागेश्वर, महाप्रबंधक जिला उद्योग केन्द्र बागेश्वर, अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद बागेश्वर तथा क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय देहरादून को प्राप्त करा दी गयी थी। तदक्रम में जिलाधिकारी महोदया बागेश्वर की अध्यक्षता में दिन 07.10.2023 को प्रातः 11:00 बजे परियोजना स्थल ग्राम—भाटनीकोट तहसील व जिला—बागेश्वर में लोक सुनवाई का आयोजन किया गया है। लोक सुनवाई में उपस्थित संलग्नानुसार है।

लोक सुनवाई में सर्वप्रथम उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड क्षेत्रीय कार्यालय हल्द्वानी के डॉ0 डी0के0 जोशी, क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा जनसुनवाई में उपस्थित सभी महानुभावो तथा लोक सुनवाई के पैनल में नामित अध्यक्ष जिलाधिकारी बागेश्वर तथा अन्य उपस्थित अधिकारीयों का स्वागत किया तथा परियोजना के संबंध में अवगत कराते हुए अध्यक्ष महोदया से लोक सुनवाई प्रारम्भ करने की अनुमति चाही गयी।

जिलाधिकारी बागेश्वर की अनुमति के उपरान्त लोक सुनवाई की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी। तदक्रम में परियोजना के पर्यावरण सलाहकार संस्था मैसर्स अर्थ विजन इण्डिया एसोसिएट कन्सल्टेंट, 45–46, अपर ग्राउण्ड फ्लोर, विनीत खण्ड, गोमती नगर लखनऊ के श्री भरत सिंह रावत द्वारा इकाई का विवरण प्रस्तुत किया गया। विवरण प्रस्तुत करते हुये अवगत कराया कि प्रस्तावित परियोजना एक सोप स्टोन खनन परियोजना है, परियोजना का खनन स्थल ग्राम—भाटीकोट, तहसील व जिला—बागेश्वर में स्थित है। खनन कार्य ओपन कास्ट सेमी मेकेनाइड विधि द्वारा किया जायेगा। परियोजना स्थल तथा परिक्षेत्र में परिवेशीय वायु गुणवत्ता अनुश्रवण, भूगर्भीय जल मृदा तथा ध्वनि स्तर का अनुश्रवण कर नमूने एकत्रण किये गये हैं। विश्लेषण आख्यायें परिवेशीय वायु गुणवत्ता राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता मानकों के भीतर हैं तथा भू-जल नमूने की गुणवत्ता भारतीय मानक IS:10500 द्वारा निर्धारित सीमा के अनुरूप है। प्रस्तावित परियोजना पर्यावरण ध्वनि का स्तर दिन और रात के समय हेतु निर्धारित सीमा में है। खनन क्षेत्र में कोई विस्थापन

शामिल नहीं है, क्षेत्र में खनन गतिविधि का प्रभाव क्षेत्र के सामाजिक, आर्थिक वातावरण पर सकारात्मक है। तदकम में क्षेत्रीय अधिकारी उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा परियोजना सलाहकार से प्रस्तावित खनन परियोजना के आस-पास पक्के भवनों, नदी, गढ़ेरे तथा वनों के संरक्षण के संदर्भ में जानकारी प्राप्त की गयी तथा सुझाव दिया गया कि प्रस्तावित खनन क्षेत्र के आस-पास खच्चरों के रहने की व्यवस्था ढाल वाले क्षेत्र में न की जायें जिससे खच्चरों के मल का निस्तारण आस-पास के नदी, नालों में न हो सके। परियोजना सलाहकार द्वारा अवगत कराया गया कि प्रस्तावित खनन क्षेत्र तथा नदी के मध्य 10-20 मीटर का ~~खाली~~ का क्षेत्र निषिद्ध क्षेत्र प्रस्तावित किया गया है। जिसमें वृक्षारोपण का कार्य किया जायेगा तथा आवश्यकतानुसार रिटेनिंग वॉल का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है। प्रस्तावित खदान स्थानीय आवादि को रोजगार प्रदान करेगी, पर्यावरण प्रबंधन योजना के अन्तर्गत विभिन्न मर्दों यथा ढुलाई सड़क की मरम्मत और रखरखाव, धूल नियंत्रण, पानी का छिड़काव, जल/वायु, ध्वनि स्तर अनुश्रवण, वृक्षारोपण तथा देखभाल व सीईआर मर्दों में धन राशि आवंटन के संबंध में अवगत कराया गया तथा बताया गया कि प्रस्तावित खनन कार्य निर्धारित नियमों एवं शर्तों के अनुसार किया जायेगा। परियोजना क्षेत्र में महत्वपूर्ण आर्थिक लाभ उत्पन्न करेंगी तथा प्रस्तावित परियोजना पर्यावरण पर कोई नकारात्मक प्रभाव डाले बिना आगे बढ़ समती है।

जिलाधिकारी महोदया द्वारा कहा गया कि सी०एस०आर० मद में जो धन राशि का आवंटन किया गया है, उसको संशोधित कर प्रस्तावित परियोजना के पास ग्राम-तुपेड़ में संचालित राजकीय विद्यालय में स्मार्ट क्लास की व्यवस्था हेतु धनराशि का आवंटन प्रस्तावित किया जायें। जिसके संबंध में पर्यावरण सलाहकार द्वारा प्रस्तावित परियोजना में संशोधन करने हेतु सहमति व्यक्त की गयी है।

प्रस्तुतीकरण के उपरान्त सोप स्टोन खनन परियोजना के संबंध में उपस्थित समुदाय से उनके सुझाव आपत्तिया एवं टीका टिप्पणी आमंत्रित की गई तथा अवगत कराया गया कि सुझाव आपत्तिया टीका टिप्पणी लिखित व मौखिक रूप से प्राप्त की जा सकती है। उपस्थिति जन समुदाय द्वारा प्रस्तुत टीका टिप्पणी व सुझाव का विवरण निम्नवत है:-

1. श्री नन्दन सिंह ग्राम- भाटनीकोट तहसील व जिला-बागेश्वर:- श्री नन्दन सिंह द्वारा कहा गया कि प्रस्तावित खनन परियोजना से कोई आपत्ति नहीं है।
2. श्री सुन्दर सिंह ग्राम- भाटनीकोट तहसील व जिला-बागेश्वर:- श्री सुन्दर सिंह द्वारा कहा गया कि प्रस्तावित खनन परियोजना से कोई आपत्ति नहीं है।
3. श्री भगवान सिंह ग्राम- भाटनीकोट तहसील व जिला-बागेश्वर:- श्री भगवान सिंह द्वारा कहा गया कि प्रस्तावित खनन परियोजना से कोई आपत्ति नहीं है।
4. श्री दर्शन सिंह ग्राम- भाटनीकोट तहसील व जिला-बागेश्वर:- श्री दर्शन सिंह द्वारा कहा गया कि प्रस्तावित खनन परियोजना से कोई आपत्ति नहीं है।
5. श्री भीम सिंह ग्राम- भाटनीकोट तहसील व जिला-बागेश्वर:- श्री भीम सिंह द्वारा कहा गया कि प्रस्तावित खनन परियोजना से कोई आपत्ति नहीं है।

6. श्री महेश सिंह ग्राम— भाटनीकोट तहसील व जिला—बागेश्वरः— श्री महेश सिंह द्वारा कहा गया कि प्रस्तावित खनन परियोजना से कोई आपत्ति नहीं है।
7. श्री हरक सिंह ग्राम— भाटनीकोट तहसील व जिला—बागेश्वरः— श्री हरक सिंह द्वारा कहा गया कि प्रस्तावित खनन परियोजना से कोई आपत्ति नहीं है।
8. श्री दिवान सिंह ग्राम— भाटनीकोट तहसील व जिला—बागेश्वरः— श्री दिवान सिंह द्वारा कहा गया कि प्रस्तावित खनन परियोजना से कोई आपत्ति नहीं है।
9. श्री बलवंत सिंह ग्राम—भाटनीकोट तहसील व जिला—बागेश्वरः— श्री बलवंत सिंह द्वारा कहा गया कि प्रस्तावित खनन परियोजना से कोई आपत्ति नहीं है।
10. श्री माधों सिंह ग्राम— भाटनीकोट तहसील व जिला—बागेश्वरः— श्री माधों सिंह द्वारा कहा गया कि प्रस्तावित खनन परियोजना से कोई आपत्ति नहीं है।
11. श्री दर्शन सिंह ग्राम— भाटनीकोट तहसील व जिला—बागेश्वरः— श्री दर्शन सिंह द्वारा लोकसुनवाई में उपस्थित सभी लोगों का स्वागत करते हुये कहा गया कि हमारे ग्राम पंचायत में पानी की व्यवस्था नहीं है। जंगली जानवरों द्वारा हमारी फसल एवं पानी की लाईनों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, केवल एक नौले से ही पूरे गांव में जल आपूर्ति हो रही है। गांव के पैदल रास्ते क्षतिग्रस्त हैं तथा सुझाव दिया गया कि मंदिरों एवं रास्तों के संरक्षण हेतु सी०एस०आर० मद में आवंटन प्रस्तावित किया जाना चाहिये।

जिलाधिकारी महोदया द्वारा पुनः उपस्थित लोगों से प्रस्तावित परियोजना कि आपत्ति के संबंध में जानना चाहा। कोई अन्य सुझाव/आपत्ति व टीका टिप्पणी लिखित व मौखिक रूप से प्राप्त न होने पर उपस्थित जन समुदाय का धन्यवाद व्यक्त करते हुये लोक सुनवाई का समापन किया गया।

उक्त जन सुनवाई की वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी की गयी है तथा उपस्थित जन समुदाय की उपस्थिति, उपस्थिति रजिस्टर में दर्ज की गयी है।

D.m

(डॉ० डी०के० जोशी)
क्षेत्रीय अधिकारी
उ०प्र०नि०बोर्ड हल्द्वानी।



(अनुसन्धा पाल)
जिलाधिकारी
बागेश्वर।

मैं जय माँ भगवती, भारतीकोट माइनर्स रुण्ड मिनरल्स, ग्राम-
भारतीकोट, तहसील व जिला - वागेश्वर में प्रस्तावित सोप
स्थेन गाड़निंग (टोटफल्टन-7.5 प्र० है) हें पर्यावरणीय स्थिति
के लिए तोक सुनवाई में उपायिति का विवरण है।

सुनवाई स्थल - ग्राम-भारतीकोट, तहसील व जिला -
वागेश्वर

मम्य संवेदनियि - ता. 05/2023-मात्र - 11:00 बजे,

| क्र/सं | नाम | पता | टिकटर |
|--------|---------------|--|-----------------|
| 1. | अनुराधा पाल | जिलाधिकारी, वागेश्वर | ✓ |
| 2. | उमा ठीक कौशी | क्षेत्रीय अधिकारी (उष्ट्रपत्रिकोट, हल्की) | ✓ |
| 3. | मरत राम | पर्यावरण संवाहनरु | |
| 4. | तलवार सिंह | काम मालीकोट | |
| 5. | रोदा राम सिंह | काम मालीकोट | ✓ |
| 6. | उमर सिंह | काम मालीकोट | |
| 7. | उमर सिंह | काम मालीकोट | |
| 8. | मिशनरी सिंह | काम मालीकोट | |
| 9. | सूबार सिंह | ग्राम भारती कोट | उपर्युक्त |
| 10. | नरेन सिंह | ग्राम भारती कोट | उपर्युक्त |
| 11. | नरेन सिंह | ग्राम भारती कोट | उपर्युक्त |
| 12. | सुन्दर सिंह | ग्राम भारती कोट | ग्राम भारती कोट |
| 13. | मुपेंग सिंह | ग्राम भारती कोट | ग्राम भारती कोट |
| 14. | दीपक सिंह | ग्राम भारती कोट | दीपक |
| 15. | निरवा सिंह | ग्राम भारती कोट | निरवा |
| 16. | आवीरा सिंह | " | आवीरा |
| 17. | चिलोड सिंह | " | चिलोड |
| 18. | दीपा सिंह | " | दीपा |
| 19. | दीपा सिंह | " | दीपा |

| क्रमांक | नाम | पता | हस्ताक्षर |
|---------|-----------------|----------------|-----------|
| 20 | दीर्घा विठ्ठल | ग्राम आरनी ६०२ | Hare |
| 21 | मंडवा विठ्ठल | ग्राम आरनी ६०२ | Mandava |
| 22 | शेख विठ्ठल सिंह | ग्राम आरनी ६०२ | |
| 23 | विठ्ठल विठ्ठल | ग्राम आरनी ६०२ | B. |
| 24 | देवानि विठ्ठल | ग्राम आरनी ६०२ | Devan |
| 25 | जीवन विठ्ठल | ग्राम आरनी ६०२ | Jeevan |
| 26 | हयानि विठ्ठल | ग्राम आरनी ६०२ | Hayan |
| 27 | भवन विठ्ठल | ग्राम आरनी ६०२ | Bhan |
| 28 | भाट्ठा विठ्ठल | ग्राम आरनी ६०२ | Bhatta |
| 29 | खवीय विठ्ठल | ग्राम आरनी ६०२ | Khati |
| 30 | गीता खेतवाल | | |

जाग सुनावाइ

खजन परियोजना : मैसर्स जय गोभगवती भाटनीकोट माइन्स एंड मिनरल्स

ग्राम - आटनीकोट, तहसील त जनपद - बांगोश्वर

लोक सुनवाई स्थल - भाटनीकोट

समय एवं तिथि : 07 अक्टूबर 2023, प्रातः 11:00 बजे

पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोकसुनवाई में आपका हार्दिक स्वागत है

आयोजक



उपर्युक्त

जागरात्मक प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड

आयोजना कालानी - छत्तीसगढ़ (गोभगवती)

परियोजना प्रसादक :- हरीश सिंह एवं उल्लय (जय गोभगवती भाटनीकोट माइन्स एंड मिनरल्स)

पर्यावरण संगठनों - अन्य विभिन्न इकाइयाएँ सिंप कर्मसुलेट, अफ ग्रामड फ्लाइ, दिलीत रुद्र, गोनी गढ़ लघुणाम

